इस अस्थिर कांग्रेस सरकार के प्राण कब निकल जाएं पता नहीं: सतीश पूनिया

भाजपा द्वारा राजस्थान के सभी विधानसभा क्षेत्रों में निकाली जाने वाली जन आक्रोश रैली की तैयारी के सिलसिले में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया डूंगरपुर पहुंचे

- **बेणेश्वर धाम में डॉ. पूनिया ने महायज्ञ में आहूति दी और कहा, 2018 में कांग्रेस का विघटन शुरू हुआ, राजभवन में दो-दो मुख्यमंत्रियों के नारे लगे मंत्रिमंडल के गठन को लेकर झगड़ा हुआ।**
- **राहुल गांधी राजस्थान यात्रा पर आ रहे हैं, उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि, आपने कहा था, कांग्रेस सत्ता में आएगी तो 10 तक गिनती गिनेंगे और किसानों का सारा कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन 1700 दिन हो गए, कर्जा माफ नहीं किया।**

डूंगरपुर/जयपुर, 28 नवम्बर (का.सं.)। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने डूंगरपुर पार्टी जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान के इतिहास में इस तरीके की नकारा, निकम्मी, अकर्मण्य, भ्रष्ट और अराजक सरकार नहीं देखी, इससे पहले भी कांग्रेस की सरकार थी। 2018 में कांग्रेस का जो विघटन शुरू हुआ, जब राजभवन में मुख्यमंत्री की शपथ के बाद भी दो-दो मुख्यमंत्रियों के नारे लगे, उसके बाद लगातार मंत्रिमंडल के गठन को लेकर झगड़ा, सचिवालय में किसको कौन सा कमरा मिले, इसका झगड़ा, गाड़ी किसको कैसी मिले इसका झगड़ा और अतत: परिणीति यह हुई कि करोना का दंश झेल रही जनता के साथ यह सरकार या तो भेदभाव कर रही थी या लापरवाही कर रही थी। अब हालत यह है कि इस अस्थिर कांग्रेस सरकार के प्राण कब निकल जाएं, पता नहीं।

भाजपा की ओर से राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्रों में निकाली जाने वाली जन आक्रोश यात्रा की तैयारियों को लेकर सोमवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया डूंगरपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बेणेश्वर धाम के पवित्र प्रांगण में आयोजित श्री हरि मंदिर स्वर्ण शिखर प्रतिष्ठा महोत्सव एवं महायज्ञ में सम्मिलित होकर अनुष्ठान में आहुति दी।

पत्रकारों से वार्ता में उन्होंने कहा कि 2018 में अलवर के थानागाजी गैंगरेप की गूंज पूरे देश में हुई, अलवर की निर्भया गैंगरेप की गूंज हुई और कोई दिन ऐसा नहीं होता जब अखबार रंगे नहीं होते दुष्कर्म, गैंगरेप हत्या, लूट इत्यादि घटनाओं से। क्या दृश्य होगा जब कोई नवजात के शव को श्वान नोंचता हो, वो भी सरकारी अस्पताल में। वो क्या विडंबना रही होगी जब भूख से बिलखती कोई अबला रोटी मांगती है, एम्बुलेंसकर्मी से और वहीं एम्बुलेंस कर्मी उस महिला से दुष्कर्म करते हैं। क्या परिस्थिति रही होगी जहां मुख्यमंत्री विराजते हैं उससे कुछ दूर धर्मान्तरण हो रहा हो। क्या तकलीफ रही होगी जब किसी साधु या पुजारी को या तो जलने पर मजबूर होना पड़ा या उसको जला दिया, यह राजस्थान की कानून व्यवस्था की बानगी है, राजस्थान ऐसा लगता है कि अपराधों की राजधानी हो गया है।

उन्होंने कहा, दूसरा बड़ा मसला है कि राहुल गांधी यहां यात्रा करने आ रहे हैं, लेकिन मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने यह कहा था कि जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो 10 तक गिनती गिनेंगे और राजस्थान के सारे किसानों का सारा कर्जा माफ कर देंगे। चार वर्ष हो गए, दिन तो 10 कहे थे, लेकिन 10 से भी कहीं ज्यादा 1700 दिन हो गए, लेकिन किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। अब राजस्थान की धरती पर कदम रखें तो उस वादे को याद करें।

जनाक्रोश रैली की तैयारियों का जायजा लेने डूंगरपुर गए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने बेणेश्वर धाम में श्री हरिमंदिर स्वर्ण शिखर प्रतिष्ठा महोत्सव में भाग लिया व महायज्ञ में भी शामिल हुए।

तीसरा बड़ा मसला रोजगार का है। उन्हीं के जन घोषणा पत्र में रोजगार की बात बेरोजगारी भत्ता की बात कही गई थी। पर 70 लाख बच्चों ने परीक्षा दी है राजस्थान में, लेकिन नतीजा क्या हुआ रीट , जेईएन, फार्मासिस्ट, लाइब्रेरियन की जितनी नौकरियां थी उसमें नौकरी का आंकड़ा तो बताया सदन में एक लाख, परीक्षा दी 70 लाख ने, 69 लाखों बच्चों के भविष्य के बारे में कोई रोडमैप सरकार के पास नहीं है। उसमें कोढ में खाज का काम यह हुआ कि नकल जैसे एक संगठित अपराध ने राजस्थान के नौजवानों के भविष्य को उनके सपनों को चकनाचूर करने का काम किया।

उन्होंने कहा कि एंटीइनकंबेंसी, जिसे जनता का सरकार विरोधी रुझान कहते हैं, भी एक मुद्दा है। लेकिन मैं इसको खाली सत्ता विरोधी रुझान ही नहीं बोलता हूं, इसको जनआक्रोश बोलता हूं और इसलिए यह जो जन आक्रोश अभियान है, यह जनता की उन्हीं चीजों को मुखर करने के लिए किया है। सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे1 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक, हम लोग 2 करोड़ लोगों से जनसंपर्क करेंगे, दो सौ विधानसभा क्षेत्रों में 75 हजार किलोमीटर 200 तक रथ चलेंगे, पार्टी के कार्यकर्ता जनता से जनसंपर्क करेंगे। सभी विधानसभाओं में प्रभारी एवं सह-प्रभारी तैनात कर दिए गए हैं, जो मंडल और बूथ स्तर तक संगठनात्मक ढांचा तय करेंगे। इस माध्यम से 5 लाख कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण सक्रिय सहभागिता होने वाली है।

जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से संपूर्ण राजस्थान में 20 हजार चौपाल सभाएं एवं 20 हजार नुक्कड़ सभाएं तय की गई हैं।

एक दिसंबर को जन आक्रोश यात्रा का आरंभ भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रथों की रवानगी से जयपुर से करेंगे, पूरे प्रदेश में 200 विधानसभा क्षेत्रों तक 200 रथ जाएंगे। 2 दिसंबर को जिलों से, 3 और 4 को विधानसभाओं से जन आक्रोश रथ यात्रा शुरू होंगी और लगातार 14 दिसंबर तक हर घर तक, हर दरवाजे तक कार्यकर्ता जाएगा, और इस जन विरोधी कांग्रेस सरकार की नाकामियों को लोगों तक पहुंचाएंगे।

‘क्या आप गहलोत...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

क्योंकि यह स्पष्ट हो गया है कि, राहुल गाँधी की ना तो चुनाव ना ही राजनीति और उसके परिणाम पर फोकस करने में कोई रुचि है।

ए.आई.सी.सी. के वरिष्ठ पदाधिकारी यात्रा में व्यस्त हैं तथा ए.आई. सी.सी. का संचालन रिमोट कंट्रोल से हो रहा है। राहुल गाँधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मंच पर कमलनाथ, दिग्विजयसिंह सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता विद्यमान थे।

रोचक बात यह है कि, राहुल गाँधी जो कहते हैं और असलियत में जो हो रहा है उसमें उन्हें कोई विरोधाभास नज़र नहीं आता। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में पूछे गए इस प्रश्न पर, कि क्या लौटने पर पार्टी में उनका स्वागत होगा, राहुल गाँधी ने कहा, जो लोग पार्टी छोड़कर गए हैं यदि उन्हें रिश्वत दी गई है तो उनका लौटना मुश्किल होगा।

राहुल गाँधी मूलत: यात्रा के बारे में अपना सोच आगे बढ़ाने पर फोकस कर रहे थे और कि, यात्रा में उनकी इतनी दिलचस्पी क्यों है। लेकिन वरिष्ठ नेताओं का कहना है, संगठन की उपेक्षा का नतीजा पार्टी को चुकाना पड़ रहा है, चुनावी राजनीति के संदर्भ में।

जबरन धर्म ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

शामिल नहीं है। केन्द्र का यह जवाब उस याचिका पर आया है, जो कपटपूर्ण धर्म-परिवर्तन तथा डराने-धमकाने तथा उपहारों एवं मौद्रिक लाभों के जरिये छलपूर्वक प्रलोभन देकर धर्म-परिवर्तन करने के खिलाफ दायर की गई है। केन्द्र ने कहा कि इसका धर्म-परिवर्तन अनुच्छेद14, 21 तथा 25 का उल्लंघन करता है। केन्द्र ने एक शपथ-पत्र पेश किया, जिसमें जबरन धर्म-परिवर्तन के खिलाफ गंभीर कदम उठाये जाने का संकल्प लिया है। केन्द्र ने कहा कि जबरन धर्म-परिवर्तन के खिलाफ कानून लाना आवश्यक है ताकि समाज के कमजोर वर्गों को इससे बचाया जा सके। केन्द्र सरकार ने कहा कि याचिकाकर्ता ने ऐसे बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत किये हैं, जहाँ छल-कपट, धोखाधड़ी, बल प्रयोग, प्रलोभन या अन्य ऐसे ही तरीकों से देश के कमजोर वर्गों का धर्मान्तरण संगठित, नियोजित तथा परिष्कृत तरीके से किया गया है। केन्द्र ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ''प्रचार'' शब्द में किसी व्यक्ति के धर्म के परिवर्तन का अधिकार निहित नहीं है, इस शब्द का प्रयोग सकारात्मक अर्थ में, अपने सिद्धांतों का निरुपण करके अपने धर्म का प्रसार करना है।

केन्द्र ने कहा कि वह इस याचिका में उठाये गये मुद्दे की गंभीरता से परिचित है, तथा समाज के कमजोर वर्गों, जिनमें महिलायें तथा आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग शामिल हैं, के अधिकारों के संरक्षण के लिये कानून बनाना जरूरी है। नौ राज्य इस विषय पर पहले ही कानून बना चुके हैं। ये राज्य हैं- ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक तथा हरियाणा।

14 नवम्बर को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जबरन धर्मान्तरण ''बहुत गंभीर मुद्दा'' है तथा इससे देश की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। अदालत ने केन्द्र से कहा कि इस बावत अपना रुख स्पष्ट करे कि जबरन धर्मान्तरण को रोकने के लिये क्या-क्या कदम उठाये जा सकते हैं।

‘एक अच्छे ''गॉल्फर'' की भांति...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एल्बेट्रॉस। तीसरे नम्बर का सबसे अच्छा शॉट होता है बर्डी, जो कि दुर्लभ होता है। उससे बेहतर है बड़ा ''बर्ड'' ईगल जो और भी ज्यादा दुर्लभ है और उससे भी बेहतर है एल्बेट्रॉस।

मैं कहूंगा कि उन्होंने शुरूआत कई प्रकार के ''बर्डी'' शॉट्स से की। वे ना केवल महलों से निकल कर सड़कों पर उतरे बल्कि आम लोगों, निर्धन से भी निर्धनतम से भी घुल मिल गए। निश्चित रूप से अमीर लोग भी उनके साथ आए जैसे रिया सेन, अमोल पालेकर।

हिन्दुस्तान टाइम्स की एन्टरटनमैंट डैस्क ने खबर दी थी कि रश्मि देसाई और आकांक्षा पुरी भी शनिवार को भारत जोड़ो यात्रा में राहुल के साथ चली तीनों की तस्वीरें व वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। इसके अलावा महाराष्ट्र में रिया सेना से पहले पूजा भट्ट और रितेश देशमुख भी यात्रा में शामिल हुए। अब नैशनल मीडिया भी इस नए गॉल्फर को देख रहा है और फॉरेन मीडिया जो उनकी वाक को नेहरूवादी जुमला करार देकर खारिज कर रहा था वह भी अपनी टी.वी. टीम भेज रहा है यात्रा कवरेज करने के लिए जैसे बी.बी.सी.।

बी.बी.सी. रिपोर्टर ने कहा ''भाजपा ने राहुल की यात्रा को ऐसा मिशन कह कर खारिज कर दिया जिसमें ऐसे देश को जोड़ने की बात कह रहे हैं जो कभी भी टूटा नहीं था लेकिन गत 75 दिनों से कई बॉलीवुड एक्टर, कई शिक्षाविद्, एक्टिविस्ट यहां तक विपक्षी नेता, जो कांग्रेस के घोर विरोधी थे, वे भी गांधी के प्रति समर्थन जताने के लिए यात्रा में शामिल हो रहे हैं।'' उक्त रिपोर्टर ने गांधी के साथ हजारों किलोमीटर का सफर कर रहे लोगों से बात की। ''हैदराबाद के एक मैनेजमैंट कंसलटैंट, जिसने वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को वोट दिया था, ने बताया कि वह यहां इसलिए है क्योंकि मौजूदा सरकार से उसका मोहभंग हो गया है। दम्पती जो पुणे में आईस्क्रीम पार्लर चलाता था, ने विरोध का बैनर उठाया है उनका दावा है कि यह भारत के विश्वविद्यालियों का राजनैतिक करण है। कई ग्रामीणों ने कहा वे तो सिर्फ उत्सुक हैं और देखने आए हैं। क्योंकि जहां हम रहते हैं वहां कभी इतना बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं हुआ।'' मध्य प्रदेश में उनके भाषण में आदिवासियों की भारी भीड़ ने देखा कि, ''भले मानुस'' राहुल गांधी ने नरेन्द्र मोदी की जातिवादी, सवर्ण वादी, आदिवासी विरोधी नीतियों का पर्दाफाश कर दिया किस प्रकार मोदी आदिवासियों को वनवासी के रूप में परिभाषित कर रहे हैं।

उन्होंने कहा ''आप आदिवासी हैं। ''इस पर ना तो ना तो ऊंगली उठाई गई ना मुट्ठी लहराई गई और ना ही मोदी के बाप-दादा का नाम लिया गया।

राहुल ने कहा, आप आदिवासी हैं इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि आप भारत के मूलभूत निवासी हैं।

इसका अर्थ है कि जब भारत में कोई नहीं रहता था आप तब भी यहां थे। इसलिए आप इस देश के पहले नागरिक हैं इसलिए आपके साथ बेहतरीन व्यवहार होना चाहिए। लेकिन आपको इससे वंचित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, मैंने सुना है नरेन्द्र मोदी आपके लिए ''वनवासी'' शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ है कि आप समाज के अंग नहीं हैं आप जंगल में रहते हैं। लेकिन सरकार ने जंगल के अधिकार, जमीन, पेड़ सब निजी सैक्टर को बेच दिया है। तो जब जंगल नहीं होंगे आप भी समाज के अंग नहीं होंगे, आप जंगल का हिस्सा भी नहीं रह जाएंगे क्योंकि जंगल होंगे ही नहीं।'' उन्होंने थोड़ी देर ही बोला इस समय वे अकेले थे उनके पीछे बात-बात पर ''तालियां'' चिल्लाने वाला कोई ''यस मैन'' भी नहीं था। विडियो में मैंने राहुल गांधी जिंदाबाद या हमारा नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो, का नारा नहीं सुना।

राहुल ने किसी भी तरह की तारीफ या समर्थन नहीं मांगा, वे चाहते थे कि उनकी बात लोगों तक पहुंचे, अंत में उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है मैंने जो कहा आप समझ गए होंगे? ओह हाँ आपके चेहरे से लगता है कि आप समझ गए हैं। जयहिंद।''

साफ कहूँ तो मैंने कभी भी किसी नेता को ऐसा करते नहीं देखा यहां तक कि इंदिरा गांधी को भी नहीं, जबकि वो भीड़ खींचना जानती थीं। खेलते रहो राहुल, अच्छा गॉल्फ चल रहा है और मैं आपके लाखों प्रशंसकों में से एक हूँ।''

बजरी खनन स्थल पर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया

- **आरोप है कि, बजरी लीज़ धारक बनास में अवैध रूप से बजरी खनन कर रहे हैं, जिससे जलस्रोत सूखते जा रहे हैं।**
- **गुस्साए ग्रामीणों व किसानों ने ना केवल बजरी खनन रूकवा दिया बल्कि खनन कर रहे वाहनों में तोड़-फोड़ भी की।**

टोंक, 28 नवम्बर (निसं)। बनास नदी क्षेत्र के प्रतिबंधित क्षेत्रों में बजरी लीज धारक द्वारा खनन करने से आक्रोशित ग्राम वजीरपुरा, लहन, बोरदा, अहमदपुरा, नया गांव, पालडा के आक्रोशित किसानों व ग्रामीणों ने बजरी खनन स्थल पर पहुंच कर जमकर हंगामा किया और बजरी खनन करने वाले वाहनों में तोड़फोड़ भी कर दी। इससे ग्रामीण व बजरी लीज़ धारक के कर्मी आमने-सामने हो गए।

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि लीज़धारक की माईनिंग विभाग, प्रशासन व पुलिस विभाग से मिलीभगत है और वह अवैध रुप से प्रतिबंधित क्षेत्र में बजरी खनन कर रहा है और बनास में बजरी खनन से उनके जलस्त्रोत सूखते जा रहे है और बेतरतीब खनन किया जा रहा है। इसको लेकर प्रशासन को कई बार अवगत कराने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई तो आक्रोशित ग्रामीण खनन स्थल पर पहुंच गए और उनके आक्रोश के चलते खनन कार्य को रोकना पड़ा। मामले की जानकारी लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई साथ ही ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध खनन फिर से करते हैं तो ग्रामीण पिर से नदी में उतरेगे।

जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद फिर से बजरी खनन चालू हुई है। ग्रामीणों व किसानों का बजरी लीज़ धारक नियम कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ाकर खनन कर रहा है। ग्राम वजीरपुरा, लहन, बोरदा, अहमदपुरा नया गांव, पालडा के किसान व ग्रामीण नदी में उतर गए और जमकर हंगामा किया। आक्रोशित भीड़ ने ना केवल बजरी खनन रुकवा दिया बल्कि खनन कर रहे वाहनों में तोडफोड भी की। इससे वजीरपुरा के बनास नदी इलाके में हालात तनावपूर्ण हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही बजरी लीज़धारक के अन्य कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे और आक्रोशित ग्रामीणों से वार्ता की। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। जिसके बाद आक्रोशित भीड शांत हुई। भीड में शामिल किसान और ग्रामीणों का आरोप है कि बजरी लीज धारक के लोग नदी में चेकपोस्ट लगा अहमदपुरा की रवन्ना रसीद के नाम पर वजीरपुरा और मोलाईपुरा जैसे प्रतिबंधित क्षेत्रों में पुलिस, प्रशासन और खनिज विभाग की मिलीभगत से बनास में बजरी निकालने का काम कर रहे है। ग्रामीणों का आरोप है कि नियम कायदे कानूनों को ताक में रखकर किए जा रहे अवैध बजरी खनन से उनके क्षेत्रों के पानी के कुँए और अन्य जल स्त्रोत पूरी तरह से सूखने के कगार पर आ गए हैं, जिससे कृषि कार्यो में भी मुश्किल होने लगी है। आक्रोशित ग्रामीणों ने लीजधारक को चेतावनी दी है कि यदि प्रतिबंधित क्षेत्र में खनन किया गया तो फिर से ग्रामीण नदी में उतरेंगे।

राष्ट्रपति शी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पर काम करता है। इण्डो पैसफिक क्षेत्र में चीन के आर्थिक संबंध कुल मिलाकर चीन केन्द्रित रहे हैं जिसमें उसका अधिकांश कारोबार चीन के साथ हुआ है। यदि कैनेडा के शेष एशियाई देशों के साथ किए गए व्यापार को भी जोड़ लिया जाए, तो वह भी चीन के साथ हुए व्यापार की मात्रा से कम पड़ जाता है। कैनेडा अब चीन के अलावा एशिया के शेष देशों के साथ व्यापक व्यापार चाहता है और उसने इन देशों के लिए 750 मिलियन डॉलर का इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमैंट प्रोग्राम बनाया हे। यह जी-7 देशों के उस वृद्धि किए गए 600 बिलियन डॉलर के इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लान का हिस्सा होगा जो उन्होंने चीन के दबदबे का मुकाबला करने को लेकर एशिया के शेष देशों के लिए बनाया है। इन्फ्रास्ट्रक्चर की इस पहल को चीन के बैल्ट एण्ड रोड (बी.आर.आई.) प्रोग्राम का विकल्प माना जा रहा है। शी जिनपिंग के बी.आर.आई. के तहत लाए गए भारी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजैक्ट्स को प्राप्त करने वाले कई देश कर्जे के जाल में फंस चुके हैं। परिणामस्वरुप इन प्रोजैक्ट्स के प्राप्तकर्ता देश विपरीत प्रतिक्रियाएँ देने को बाध्य हैं।

चीन के द्वारा बी.आर.आई. के तहत विशाल प्रोजैक्ट्स लाए गए थे जो आर्थिक रूप से टिकाऊ साबित नहीं हुए। परिणामस्वरुप जिन देशों ने ऋण लेकर इन प्रोजैक्ट्स पर काम किया था, अब वे ऋण उनके गले की फांस बन चुके हैं। ये प्रोजैक्ट्स अन्य देशों के अलावा श्रीलंका और पाकिस्तान में गंभीर आर्थिक बदहाली ला चुके हैं। चीन के राष्ट्रपति अभिमानी रुख और चीन का उभरता दबदबा बड़े देशों के साथ उसके संबंधों को खतरे में डाल रहा है। यद्यपि छोटे देशों के लिये चीन एक दुर्जेय शक्ति हो सकता है, लेकिन की धारणाएं बड़े देशों को उससे घृणा करने के अवसर प्रदान कर रही है। अत: वैकल्पिक गठबंधन बन रहे हैं जिनका परिणाम अन्तत: चीन के साथ अधिक विवादास्पद रुख के रूप में हो सकता है। चीन की संप्रभुता की धारणाओं के कारण एक नई वैश्विक व्यवस्था उभर रही है।

अल्पसंख्यक छात्र को आतंकवादी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

से यह क्रॉस क्वेश्चन किया कि वह उसे आतंकवादी कैसे कह सकते हैं। वायरल हुए एक वीडियो क्लिप में छात्र को प्रोफेसर से यह प्रश्न करते सुना जा सकता है उन्होंने बिना किसी प्रूफ के उसे आतंकवादी क्यों कहा। प्रोफेसर इस प्रश्न का कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सके और उन्होंने सिर्फ कुछ अपूर्ण उदाहरण दिए जो छात्र के गले नहीं उतरे। इस पूरी घटना से हर कोई बेखबर रहता लेकिन सोशल मीडिया की वजह से यह प्रकाश में आ सकी। एक बार ट्वीट किए जाने के बाद पोस्ट वायरल हो गई। इसके बाद बैंगलोर के मनिपाल इन्स्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी ने प्रोफेसर को निलम्बित करने के बाद घटना की जांच शुरु की दी।

यूनिवर्सिटी सूत्रों के अनुसार प्रोफेसर को जांच पूर्ण होने तक के लिए शिक्षण कार्य से प्रतिबंधित कर दिया गया है। घटना तीन-चार दिन पूर्व हुई और गत रात्रि ट्वीट आने के बाद ही यूनिवर्सिटी को इसकी जानकारी मिली। इस संबंध में एक जांच कमेटी गठित कर दी गई है। यूनिवर्सिटी के एक अधिकारी ने मीडिया कर्मियों को बताया कि ''छात्र के साथ काउन्सलिंग की गई है। ऐसी घटनाओं के लिए हमारी ज़ीरो-टॉलरेंस पॉलिसी है। हम जांच के बाद उचित कार्यवाही करेंगे।

एम.आई.टी. बैंगलोर ने भी ट्वीट किया कि ''संस्थान इस घटना को लेकर पहले ही जांच शुरु कर चुका है और जांच पूर्ण होने तक संबंधित शिक्षक को पढ़ाने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। हम सबको यह बताना चाहते हैं कि संसीान इस प्रकार के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सकता और इस एक मात्र घटना को संस्थान की नीति के अनुरूप संभाला जाएगा।

ट्वीट में आगे कहा गया है कि ''संस्थान को इस बात का गर्व है कि उसके कैम्पस में एक सर्वाधिक योग्य छात्र संगठन है और वह जाति, धर्म, क्षेत्र या लिंग से परे सबके साथ समान व्यवहार कर हमको संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।''

महाराष्ट्र के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

टिप्पणी कर दी थी। उन्होंने कह दिया था, ''जब सावित्री बाई का विवाह हुआ था, उस समय वे 10 साल की थी तथा उनके पति ज्योतिबा 13 वर्ष के थे। कल्पना कीजिये कि ये लड़का-लड़की शादी के बाद क्या करते होंगे? वे क्या सोचते होंगे?'' अभी एक माह पूर्व भी, राज्यपाल कोश्यारी ने उस समय फिर एक अप्रिय टिप्पणी कर दी थी, जब उन्होंने लोगों को जीवन गुरु के महत्व को समझाने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था, ''दार्शनिक-कवि समर्थ रामदास (शिवाजी के गुरु) के बिना, कोई भी व्यक्ति शिवाजी को नहीं जान पाता।'' भाजपा के कुछ वर्गों में यह धारणा बनती जा रही है कि कोश्यारी के पद पर बने रहने से विपक्षी नेताओं को आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा को नुकसान पहुँचाने का मौका एवं आधार मिल जायेगा। तथा इन चुनावों के बाद 2024 में अति महत्वपूर्ण लोकसभा चुनाव तथा राज्य विधानसभा चुनाव होने हैं।

समलैंगिक को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अनुसार किरपाल के नाम को ''पुनर्विचार'' के लिए सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम को भेजा गया है। तथापि, मैमोरेण्डम ऑफ प्रोसीजर के प्रावधानों के तहत यदि केन्द्र सरकार को कोलीजियम द्वारा नाम पुन: भेजा जाता है तो सरकार को उसे मंजूरी देनी पड़ेगी। किरपाल, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इण्डिया (सी.जे.आई.) बी.एन. किरपाल के पुत्र हैं। इण्डिया अहेड के अनुसार उनको अस्वीकार किए जाने का एक कारण यह प्रतीत होता है कि इस 50 वर्षीय एडवोकेट के पार्टनर एक विदेशी है। उसने आगे जोड़ा कि इन्टैलीजेंस ब्यूरो के अनुसार उनके पार्टनर सिक्योरिटी के लिए एक रिस्क हो सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट कोलीजियम द्वारा किरपाल के नाम को अक्टूबर 2017 में पहली बार मंजूरी दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर चर्चा में तीन बार विलम्ब कर चुका है। मार्च 20121 में सी.जे.आई. एस.ए. बोबड़े ने विधि मंत्री रवि शंकर प्रसाद को लिखकर यह पूछा था कि क्या यह मामला इसलिए लंबित है कि किरपाल समलैंगिक है। हालांकि नवम्बर 2021 में तत्कालीन सी.जे.आई. एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम ने पदोन्नति के लिए किरपाल के नाम को मंजूरी दी थी। किरपाल ने एक टी.वी. न्यूज नैटवर्क को इस माह की शुरुआत में बताया था ''मैं समझता हूं कि सरकार अब भी किसी एक विचार के खिलाफ है या धारा 377 के बारे में उसका कोई मत है। यह धारा समलैंगिकता या सम यौन व्यवहार को अपराध मानती है। सरकार ने धारा 377 को अपराध मुक्त करने का कभी विरोध नहीं किया, लेकिन साथ ही उन्होंने ऐसा कोई शपथ पत्र भी कभी प्रस्तुत नहीं किया, जिसमें यह कहा गया हो कि इस धारा को अपरामुक्त किया जाए।

चीन में लॉकडाउन के विरोध में जनता सड़कों पर उतरी

बीजिंग, 28 नवंबर। चीन में करोना संक्रमण की रोकथाम के लिए देश की साम्यवादी सरकार द्वारा अपनायी गयी सख्त नीति के खिलाफ राजधानी बीजिंग सहित देश के विभिन्न शहरों में लोगों ने प्रदर्शन शुरू किए हैं। जनता लॉकडाउन और आने-जाने के प्रतिबंधों को हटाने की मांग कर रही है और साथ ही चीन की साम्यवादी पार्टी के शासन का भी विरोध शुरू हो गया है। लोग राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। चीन में चल रहे प्रदर्शन बीजिंग से शुरू होकर तेजी से लॉन्चो, शियान, चोंगकिंग, वुहान, झेंगझोऊ,आदि शहरों तक फैल गये हैं।

‘जजों की नियुक्ति का कोलीजियम सिस्टम 1991 में शुरू हुआ’

विधि मंत्री रिजिजू के अनुसार, इससे पहले सरकार ही जजों की नियुक्ति करती थी, अत: कोलीजियम सिस्टम संविधान की देन नहीं है, जजों के निर्णय की देन है

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- **सुप्रीम कोर्ट विधि मंत्री की इस टिप्पणी से काफी विचलित हुआ तथा एडवोकेट जनरल व सॉलिसिटर जनरल को चेतावनी दी कि, अगर जजों की नियुक्ति का मामला अकारण लटकता रहा तो, सुप्रीम कोर्ट को मजबूरन इस मुद्दे पर निर्णय पारित करना पड़ेगा।**

नई दिल्ली, 28 नवम्बर। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच चल रही तनातनी आज उस समय उभरकर फिर सामने आ गई, जब सर्वोच्च न्यायालय ने जजों की नियुक्ति की कोलीजियम-व्यवस्था पर केन्द्रीय विधि मंत्री किरेण रिजिजू द्वारा हाल ही में की गई टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई तथा कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिये था। न्यायालय ने केन्द्र द्वारा उच्चतर न्यायपालिका में जजों की नियुक्तियों में विलम्ब किये जाने के मुद्दे की ओर भी संकेत किया।

जजों की नियुक्ति की इस व्यवस्था पर कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने अंधाधुंध प्रहारों पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, ''जब किसी उच्च पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति ऐसा कहता है ....ऐसा नहीं होना चाहिये था।'' रिजिजू, जो इस बात को लेकर अपने अंसतोष को मुश्किल से ही छुपा पाते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति के मामले में सरकार की कुछ खास नहीं चलती है, ने हाल ही में वर्तमान नियुक्ति-तंत्र पर ताजातरीन हमला बोला तथा कहा कि कोलीजियम व्यवस्था संविधान के ''प्रतिकूल'' (एलिअन) है।

रिजिजू ने कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विवेक से ही, अदालत के एक फैसले के जरिये, कोलीजियम का सृजन किया था। उन्होंने कहा कि 1991 से पहले, सारे जजों की नियुक्ति सरकार ही किया करती थी।

टाइम्स नाउ समिट में बोलते हुए, कानून मंत्री ने कहा कि भारत का संविधान हर व्यक्ति के लिये, विशेष रूप से सरकार के लिये, एक ''पवित्र दस्तावेज'' है।

उन्होंने पूछा कि, ''आप यह अपेक्षा कैसे कर सकते हैं कि केवल अदालतों या कुछ जजों द्वारा लिये ऐसे निर्णय, जो संविधान के प्रतिकूल हो, का समर्थन देश कैसे करेगा।''

केन्द्र की ओर प्रस्तुत सॉलिसिटर जनरल के इस कथन कि ''कभी-कभी मीडिया की रिपोर्ट गलत भी होती है'' को विशेष तवज्जो देते हुये, अदालत ने कहा: ''मि. अटॉर्नी जनरल, मैंने सारी प्रेस-रिपोर्टों की अनदेखी कर दी है, लेकिन यह कथन एक ऐसे व्यक्ति की तरफ से एक इन्टरव्यू के दौरान आया है, जो अभी उच्च पद पर आसीन है। .....मैं और कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। अगर हमें कुछ कहना पड़ा तो हम उसे निर्णय (के रूप) में कहेंगे।'' जस्टिस कौल ने केन्द्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे एटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमानी को जवाब देते हुए कहा।

नियुक्तियों में विलम्ब के बिन्दु पर अदालत ने पूछा कि नैशनल जुडिशियल ऑफ अपॉइन्टमेंट्स कमीशन (एन.जे.ए.सी.) अपनी कसौटी पर खरा नहीं उतरा है क्या यही कारण है, जिससे सरकार प्रसन्न नहीं है, तथा इसीलिये नामों पर स्वीकृति नहीं दे रही है।

कोलीजियम की सिफारिशों पर सरकार ने कुंडली मार के बैठने पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केन्द्र, अपनी आपत्तियाँ बताये बिना, नामों को वापस नहीं कर सकता। अदालत ने किसी न्यायिक फैसले की चेतावनी भी दे दी। बैंच ने कहा, ''कृपया इसका समाधान कर दीजिये तथा इस मामले में हमें कोई न्यायिक फैसला लेने के लिये बाध्य मत कीजिये।''

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, ''जमीनी वास्तविकता यह है कि नामों की स्वीकृति नहीं दी जा रही है। (न्यायिक) तंत्र कैसे काम करेगा? कुछ नाम तो पिछले डेढ़ साल से लम्बित हैं।''

अदालत ने आगे कहा, ''ऐसा हो नहीं सकता आप नामों को रोक नहीं सकते इससे समूचा तंत्र प्रभावित हो रहा है। और कई बार आप सूची से कुछ नाम छाँट लेते हैं और अन्य नामों को स्वीकृति नहीं देते हैं। इससे आप प्रभावी तरीके से वरिष्ठता को भंग कर देते हैं।''.

सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि कई सिफारिशें चार महीने से लम्बित हैं तथा उनकी समय सीमा पार हो गई है। अदालत ने कहा कि टाइम लाइन का तो पालन करना ही होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक वकील, जिसके नाम की सिफारिश की गई थी, की मृत्यु हो चुकी है तथा एक अन्य वकील ने अपनी सहमति वापस ले ली है।

अदालत ने एटॉर्नी जनरल तथा सॉलिसिटर जनरल से कहा कि वे उच्चतर न्यायपालिका के लिये सर्वोच्च न्यायालय कोलीजियम द्वारा अभिशंसित नामों की स्वीकृति देने में विलम्ब से संबंधित अदालत की भावनाएं केन्द्र तक पहुँचा दें।

जब अटॉर्नी जनरल तथा सॉलिसिटर जनरल ने यह आश्वासन दिया कि वे इस मामले की गहराई तक जायेंगे, उसके बाद अदालत ने इस प्रकरण को 8 दिसम्बर की सुनवाई तक के लिये स्थगित कर दिया।

राष्ट्रदूत हिन्दु संयुक्त परिवार की ओर से सोमेश शर्मा द्वारा ज्वाईन्ट मीडिया, आजाद मार्ग, मैन रोड, आयड, उदयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 57928/93 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513 कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371 अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908